न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 23/2021
प्रकरण दर्ज तिथि :– 22.12.2021

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

1. श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि श्री दुर्गासिंह जाति मेरात निवासी खीमपुरा हाल अजमेर
2. अराधना देवी पत्नि नेमसिह जाति मेरात निवासी केसरपुरा रोन्दड़ा

1. तहसीलदार रायपुर

प्रार्थना पत्र वास्ते शुद्धीकरण अन्तर्गत धारा 136 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः– 1 अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला प्रार्थी
2 सरकारी पैराकार उपस्थित अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 02.02.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द भू अभि निरीक्षक बर के खसरा संख्या 1161 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही सोयम, प्रार्थीगण की खरीदशुदा खातेदारी भूमि आई हुई हैं। जिस पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज है, एवं जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 तक की जमाबंदी में प्रार्थीगण का नाम शामलाती दर्ज रेकर्ड हैं। उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थीगण आज भी कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के कर रहे हैं। उक्त विवादित भूमि खसरा नं 1161 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा जो वक्त सेन्टलमेन्ट से संवत् 2074 तक दर्ज जमाबंदी चला आ रहा था। परन्तु उक्त सेग्रीगेशन करते समय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा भूलवश उक्त राजस्व रेकार्ड की चौसाला जमाबंदी में विवादित खसरा नं 1161 का संधारण सेग्रीगेशन जमाबंदी में नही किया एवं ना ही राजस्व नक्शे में तरमीम किया हैं। जबकि प्रार्थीगण मौके पर कब्जा कर काश्त कर रहा हैं। राजस्व रेकर्ड की चौसाला जमाबंदी बनाते समय तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा उक्त खसरा नं 1161 का संधारण दर्ज करने से रह गया जो तत्कालीन पटवारी हल्का से भूल से रह गया जो अवैद्यानिक एवं विधि विरूद्ध हैं। इसे सुधारा जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक हैं। उक्त प्रार्थना पत्र शुद्धि वास्ते उक्त न्यायालय में पेश किया जा रहा हैं।

अतः सरहद मौजा बिराटिया खुर्द पटवार हल्का बिराटिया खुर्द की जमाबंदी 2011–2030 से लगायत 2071–2074 तक राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नं 1161 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा रकबा चाही सोयम दर्ज चला आ रहा हैं। परन्तु वक्त सेग्रीगेशन करते समय तत्कालीन पटवारी द्वारा भूलवश उक्त राजस्व रेकर्ड की चौसाला जमाबंदी में विवादित खसरा सं 1161 का संधारण

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner

सेग्रीगेशन की जमाबंदी में नहीं किया व ना ही राजस्व नक्शे में तरमीम किया हैं। जो भूलवश करने से रह गया जिसे पुन दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं। इसलिए उक्त खसरा नं 1161 को ग्राम बिराटिया खुर्द की वर्तमान जमाबंदी में दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करवाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार रायपुर ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जबाव में मिसल बन्दोबस्त संवत् 2011-2030 ग्राम बिराटिया खुर्द में खसरा नं 1161 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही सोयम में खातेदार नाथा पुत्र केशा वगैरह के नाम दर्ज हैं। इस खसरे का रकबा 12 बीघा दर्ज नहीं हैं. मूल गांव बिराटिया खुर्द से नया राजस्व ग्राम झाला की चौकी बना हैं। ग्राम बिराटिया खुर्द की जमाबंदी 2071-2074 में खसरा नं 1161 रकवा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही सोयम में दुर्गा देवी वगैरह खातेदार दर्ज हैं। यह अंकन मिसल के अनुसार गिलान करता हैं। ग्राम झाला की चौकी की जमाबंदी 2071-74 में खसरा नं 1161 रकबा 12 बीघा गै. मु. आबादी के नाम से दर्ज हैं। जिसका मिलान मिसल से नहीं होता अर्थात् फाल्स एंन्ट्री हैं। डीआईएलआरएमपी के तहत जमाबंदी सेग्रीगेशन के समय सहवन से खसरा नं 1161 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही सोयम, दुर्गादेवी वगैरह के नाम से ग्राम बिराटिया खुर्द से हटाया गया जबकि यह फाल्स अंकन हैं। अतः मिसल बन्दोबस्त के अनुसार ग्राम बिराटियाखुर्द की जमाबंदी 2071-74 में दर्ज प्रविष्टि खसरा नं 1161 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही सोयम में खातेदार दुर्गादेवी संलग्न जमाबंदी अनुसार को ग्राम झाला की चौकी की वर्तमान जमाबंदी में जोड़ते हुए फाल्स अंकन खसरा नं 1161 रकबा 12 बीघा किस्म गै मु. आबादी को हटाने के आदेश पारित करने की अनुशंषा के साथ निवेदन किया हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, बहस के दौरान दिये गये तर्कों पर गहनता पूर्वक मनन किया तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश जबाव पर कोई आपत्ति नहीं की हैं। तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश जबाव अनुसार में ग्राम बिराटिया खुर्द की जमाबंदी 2071-74 में दर्ज प्रविष्टि खसरा नं 1161 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा किस्म चाही सोयम में खातेदार करण पुत्र भूरा, सोहनी उर्फ हलीमी पत्नि भूरा हिस्सा 09/574, हाथी राजु जोधा जगा दीवान पपुडा पि. अली 9/574, नजीर मोहन रमेश पि. कालू 19/574, दुर्गादेवी पत्नि दुर्गासिंह हिस्सा 286/574 कौम मेहरात सा. खीमपुरा हाल अजमेर, अराधनादेवी पत्नि नेमसिंह हिस्सा 204/574 कौम

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner

मेहरात सा. केसरपुरा, मंजु पत्नि रामचरण यादव हिस्सा 47/574 सा. अजमेर दर्ज थे। ग्राम झाला की चौकी की वर्तमान जमाबंदी खसरा नं 1161 रकबा 12 बीघा किस्म गै. मु. आबादी हैं, जो फाल्स अंकन हैं। अतः ग्राम झाला की चौकी की वर्तमान जमाबंदी खसरा नं 1161 रकबा 12 बीघा किस्म गै. मु. आबादी के स्थान पर जमाबंदी संवत् 2071–74 के ग्राम बिराटिया खुर्द के खसरा नं 1161 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा के खातेदारो का अंकन सही पाये जाने एवं विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड ग्राम झाला की चौकी में होने से ग्राम झाला की चौकी के खसरा नं 1161 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा में उक्त खातेदारों (करण पुत्र भूरा, सोहनी उर्फ हलीमी पत्नि भूरा हिस्सा 09/574, हाथी राजु जोधा जगा दीवान पपुडा पि. अली 9/574, नजीर मोहन रमेश पि. कालू 19/574, दुर्गादेवी पत्नि दुर्गासिंह हिस्सा 286/574 कौम मेहरात सा. खीमपुरा हाल अजमेर, अराधनादेवी पत्नि नेमसिंह हिस्सा 204/574 कौम मेहरात सा. केसरपुरा, मंजु पत्नि रामचरण यादव हिस्सा 47/574 सा. अजमेर) को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोंचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर ग्राम झाला की चौकी की वर्तमान जमाबंदी खसरा नं 1161 रकबा 12 बीघा किस्म गै. मु. आबादी के स्थान पर जमाबंदी संवत् 2071–74 के ग्राम बिराटिया खुर्द के खसरा नं 1161 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा के खातेदारो का अंकन सही पाये जाने एवं विवादित भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड ग्राम झाला की चौकी में होने से ग्राम झाला की चौकी के खसरा नं 1161 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा में उक्त खातेदार (करण पुत्र भूरा, सोहनी उर्फ हलीमी पत्नि भूरा हिस्सा 09/574, हाथी राजु जोधा जगा दीवान पपुडा पि. अली 9/574, नजीर मोहन रमेश पि. कालू 19/574, दुर्गादेवी पत्नि दुर्गासिंह हिस्सा 286/574 कौम मेहरात सा. खीमपुरा हाल अजमेर, अराधनादेवी पत्नि नेमसिंह हिस्सा 204/574 कौम मेहरात सा. केसरपुरा, मंजु पत्नि रामचरण यादव हिस्सा 47/574 सा. अजमेर)जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ हेतु आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 02.02.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

Scanned with CamScanner